Azadi Ka Amrit Mahotsav

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

No. सं.: 5-1(537)/2018-पीडी

Dated 03.07.2024

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/इकाइयों के निदेशक/प्रमुख ।

विषय: संशोधित मानस के पैरा 2.3.4 के अंतर्गत ग्रुप III स्टाफ के दो वर्ष पूर्व मूल्यांकन पर स्पष्टीकरण सम्बन्धी ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीएसआईआर के दिनांक 07.02.2019 के समसंख्यक पत्र के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि सीएसआरएपी नियमावली, 2001 के अंतर्गत दिनांक 01.06.2011 से ग्रुप IV के लिए प्रवेश स्तर की अर्हता एम.ई./एम.टेक./एम.वेट.एस.सी./एम.डी. अथवा पीएच.डी. (साइंस/इंजीनियरिंग) हेतु थीसिस प्रस्तुत की गई हो अथवा बौद्धिक संपदा कानून में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बी.टेक./एम.एस.सी. है और तदनुसार तकनीकी ग्रुप III कर्मचारियों के दो वर्ष पूर्व मूल्यांकन को निपटाने का अनुरोध किया गया था, जिसे दिनांक 15.01.2020 के समसंख्यक पत्र के द्वारा भी दोहराया गया था ।

2. तत्पश्चात, विभिन्न सीएसआईआर-प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण मांगे हैं:

क. ग्रुप III के उन कर्मचारियों के मामले में सीएसआईआर के दिनांक 07.02.2019 के पत्रांक की प्रयोज्यता, जिन्होंने दिनांक 01.06.2011 से पहले एम.एस.सी./बी.ई./बी.टेक. अथवा समकक्ष योग्यता हासिल की थी और जिनका मूल्यांकन दिनांक 01.06.2011 को अथवा उसके बाद किया जाना था, और;

ख. उन मामलों से कैसे निपटा जाए जहां दिनांक 01.06.2011 को अथवा उसके बाद लेकिन सीएसआईआर के दिनांक 07.02.2019 के पत्र के जारी होने से पहले एम.एस.सी./बी.ई/बी.टेक. अथवा समकक्ष योग्यता के आधार पर तकनीकी ग्रुप III कर्मचारियों को दो वर्ष पूर्व मूल्यांकन की अनुमति दी गई है ।

3. विधि सलाहकार, सीएसआईआर और वित्त सलाहकार, सीएसआईआर के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि सीएसआईआर के दिनांक 01.06.2011 के पत्रांक 1-5(1)/174/2009-आरएबी के द्वारा अधिसूचित वैज्ञानिक ग्रुप IV के भर्ती नियमों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, संशोधित मानस के पैरा 2.3.4 के अंतर्गत दिनांक 01.06.2011 से ग्रुप III कर्मचारियों को दो वर्ष पूर्व मूल्यांकन पदोन्नति का लाभ केवल वैज्ञानिक ग्रुप IV(2) और उससे अधिक की उच्च योग्यता प्राप्त करने पर ही दिया जा सकता है । अत:, तकनीकी ग्रुप III कर्मचारियों को एम.एस.सी../बी.ई. डिग्री या समकक्ष योग्यता के आधार पर संशोधित मानस के पैरा 2.3.4 के अंतर्गत दिनांक 01.06.2011 को अथवा उसके बाद दी गई दो वर्ष पूर्व मूल्यांकन पदोन्नति उचित नहीं है और इसलिए इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए ।

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788 Gram : CONSEARCH, NEW DELHI Website : http://www.csir.res.in

4. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करके ऐसे मामले जिसमें गलत तरीके से दो वर्ष पूर्व मूल्यांकन पदोन्नति दी गई है, यदि कोई हो, को वापस लेने तथा उनके वेतन को संशोधित करने और भुगतान की गई अधिक राशि वसूल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें ।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय,

03/07/2024

(एम. अरुण मणिकण्ड भारति)
अवर सचिव (पीडी)

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/इकाइयों के वरिष्ठ उप सचिव/वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/उप सचिव/प्रशासन नियंत्रक/अवर सचिव/प्रशासनिक अधिकारी
2. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/इकाइयों के वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार/ वरिष्ठ वित्त एवं लेखा नियंत्रक /उप वित्तीय सलाहकार/ वित्त एवं लेखा नियंत्रक /वित्त एवं लेखा अधिकारी
3. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर का कार्यालय
5. वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर का कार्यालय
7. विधि सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
8. सीएसआईआर वेबसाइट
9. कार्यालय प्रति